



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

फोन: 0771 - 2552233

ई - मेल: apecf-lm.cg@gov.in

क्र. भू-प्रबंध/विविध (ए) / 115-852 / 164

रायपुर, दिनांक 19/01/2024

प्रति:

अपर मुख्य सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन

नवा रायपुर, अटल नगर

196 :

आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा सूरजपुर जिला के तमोर पिंगला अभ्यारण्य अंतर्गत एलिफेंट रिजर्व अम्बिकापुर क्षेत्रांतर्गत "भारतनेट प्रोजेक्ट फेज-2" के तहत भूमिगत आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 1.462 हैं। वन भूमि के वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

पंजीयन क्रमांक FP/CG/OFC/43274/2019

- संदर्भ:- 1. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ-5-37/2022/10-2 दिनांक 19/12/2023
2. वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्रीय संचालक (हाथी रिजर्व) सरगुजा का पत्र क्रमांक/वन्यप्राणी/ मा. चि. / 175 दिनांक 17.01.2024

※ * * * *

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के संदर्भित पत्र - 1 द्वारा सूरजपुर जिले के सूरजपुर वन मण्डल के तमोर पिंगला अभ्यारण्य अन्तर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत भूमिगत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के लिए 1.462 हैं। वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्रीय संचालक (हाथी रिजर्व) सरगुजा से संदर्भित पत्र-2 के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रथम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

1.	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है अनुसंलग्नक-1
2.	<p>(अ) वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल अंतर्गत प्रकरण में प्रस्तावित रकम 1.462 हैं। वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवेदक संस्थान द्वारा पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल के अंतागढ़ परिक्षेत्र के ग्राम चाउरगांव में 2.967 हैं, तथा ग्राम पोडगांव में 10.427 हैं। कुल 13.394 हैं। राजस्व भूमि में से समतुल्य राजस्व भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जायेगा।</p> <p>(ब) उपरोक्त वन भूमि को 6 माह के अंदर नोडल अधिकारी द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत संरक्षित वन या धारा-4 के तहत आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।</p>	<p>(अ) उक्त के पालन में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण वन विभाग द्वारा कराया जायेगा। शर्त मान्य है।</p> <p>(ब) उक्त के पालन में 6 माह के पूर्व गैर वन भूमि को आरक्षित वन भूमि के रूप में वन विभाग द्वारा अधिसूचित करा लिया जायेगा। शर्त मान्य है। अनुसंलग्नक-2</p>

21C

	उपयोगकर्ता वर्तमान मजदूरी दर से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की लागत राशि वन विभाग के पास पेशी जमा करेगे ताकि वृक्षारोपण किया जा सके।	उक्त के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राशि रूपये 14,13,265.692/- कैम्पा मद में जमा किया गया है पुष्टि हेतु चालान की प्रति संलग्न है अनुसंलग्नक-3
4.	(अ) समादेश शाखिका (रो) क्रमांक/202/1995 के अंतर्गत आई.ए. क्रमांक-566 मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 व 09.05.2008 के अनुसार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 5-1/1998-एफ.सी. (पार्ट-11) दिनांक 18.09.2003 के साथ इससे सम्बंधित पत्र क्रमांक 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006, पत्र क्रमांक 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009, तथा पत्र क्र. 5-3 /2011-FC (Vol-1) दिनांक 06.01.2022 तथा पत्र क्रमांक 5-3 /2011 -FC (Vol-1) दिनांक 22.03.2022 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वन विभाग उपयोगकर्ता अभिकरण से शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) वसूली जायेगी।	(अ) उक्त के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि रूपये 99,20,474.10/- कैम्पा मद में जमा किया गया है पुष्टि हेतु चालान की प्रति संलग्न अनुसंलग्नक - 4 (अ)
5.	(ब) विशेषज्ञ संगठित के प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के पश्चात् यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि देय होती है तो यह राशि वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता अभिकरण से वसूली जाएगी। उपयोगकर्ता अभिकरण इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करेगा।	(ब) आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है, वचन पत्र संलग्न है अनुलग्नक-4 (ब)
6.	परियोजना के अंतर्गत उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त समस्त निधि को Compensatory Afforestation Fund (CAF) Chhattisgarh SB01025203 के कार्पोरेशन बैंक लोदी कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली 110003 में स्थित खाता संख्या CAF 25203 में हस्तांतरित की जायेगी।	उक्त के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि रूपये 14,13,265.692 एवं शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि रूपये 99,20,474.10 कुल 1,13,33,739.792/- रूपये कैम्पा मद में जमा किया गया है। पुष्टि हेतु की प्रति संलग्न है। अनुलग्नक-5
7.	प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जायेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है अनुसंलग्नक-6
8.	ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है अनुसंलग्नक-7
	उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्नि की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी। वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुंचें, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में खन्नि को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्च पर खन्नि को भरकर समतल किया जावेगा। यदि उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु Horizontal Directional Drilling method (HDD) पद्धति का उपयोग किया जाता है तो, उपयोग किये जाने वाली मशीन के परिवहन हेतु मौजूदा सड़क का उपयोग किया जायेगा तथा अन्य वन क्षेत्र का उपयोग प्रतिबंधित होगा। इस पद्धति के उपयोग में यह ध्यान रखा जाये कि वन क्षेत्र के पलोरा एवं फौना तथा Regeneration को क्षति न हो।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है अनुसंलग्नक-8

9. स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा प्रभारी उपनिदेशक, एलिफेंट रिवर्ज/वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके। 10. उपरोक्त लाईन, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अंतर्गत ही बिछाई जावेगी।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है अनुसंलग्नक-9
11. आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग /रखरखाव के खर्च को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है अनुसंलग्नक-10
12. आवेदक संस्थान, रसानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है अनुसंलग्नक-11
13. आवेदक संस्थान रखरखाय का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है अनुसंलग्नक-12
14. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है अनुसंलग्नक-13
15. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) यह सुनिश्चित करेंगे कि, वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1927 के तहत उपयुक्त अनुमति, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है अनुसंलग्नक-14
16. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा निर्देश क्रमांक F.No.6-175/2017 WL(pt), दिनांक 07.02.2023 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित/अधिरोपित समस्त शर्तें लागू होंगी तथा आवेदक संस्थान उक्त शर्तों के पालन हेतु वचनबद्ध रहेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है अनुसंलग्नक-15
17. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को प्रेषित करेंगे।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है अनुसंलग्नक-16
18. बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, पन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्हीं शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है अनुसंलग्नक-17
19. क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण / विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्हीं शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है अनुसंलग्नक-19

20.	पर्यान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) यह सुनिश्चित करेगे कि, प्रताधित कार्य के क्रियान्वयन में वन्यप्राणी संरक्षण से संबंधित कोई भी नियम/अधिनियम का उल्लंघन न हो।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वयन पत्र संलग्न है अनुसंलग्नक-20
21.	सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात ऑप्टिकल फायबर केबल द्विघाये जाने के कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वयन पत्र संलग्न है अनुसंलग्नक-21
22.	संरक्षित क्षेत्र के अंदर जलाऊ लकड़ी का संग्रहण नहीं किया जावेगा तथा कोई ऐसी गतिविधि संचालित नहीं की जायेगी जिससे वन्यप्राणियों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित हो।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वयन पत्र संलग्न है अनुसंलग्नक-22
23.	मशीनों का उपयोग सही प्रकार से किया जावेगा जिससे वन्यप्राणियों पर विपरीत प्रभाव न पड़े तथा जैव विविधता को नुकसान न हो।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वयन पत्र संलग्न है अनुसंलग्नक-23
24.	आवेदक संस्था द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के नियमों का पालन किया जायेगा। ऑप्टिकल फायबर केबल द्विघाये जाने के कार्य में इस्तेमाल हो रहे मलबा, उपकरण आदि संरक्षित क्षेत्र के अंदर नहीं छोड़े जायेंगे।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वयन पत्र संलग्न है अनुसंलग्नक-24
25.	कार्य के समय इस्तेमाल किये जाने वाले मशीनों एवं उपकरणों से किसी प्रकार का तेज ध्वनि उत्पन्न न हो जिससे की वन्यप्राणियों एवं उनके रहवास में बाधा हो यह सुनिश्चय करें।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वयन पत्र संलग्न है अनुसंलग्नक-25
26.	आवेदक संस्थान किसी भी स्थिति में भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना, व्यवर्तित वन भूमि को किसी भी अन्य संस्थान/विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वयन पत्र संलग्न है अनुसंलग्नक-26
27.	Adequate mitigation measures should be put in place for protection and conservation of wildlife.	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वयन पत्र संलग्न है अनुसंलग्नक-27
28.	Care should be taken that no natural drainage gets obstructed by implementation of the project- Adequate water passageways need to be provided wherever applicable.	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वयन पत्र संलग्न है अनुसंलग्नक-28
29.	No labor camp should be constructed within the Elephant Reserve or Forest area.	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वयन पत्र संलग्न है अनुसंलग्नक-29
30.	Special care should be taken to ensure that the animal movement is not restricted due to the construction work.	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वयन पत्र संलग्न है अनुसंलग्नक-30

उपरोक्तानुसार प्रथम चरण स्थीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ति आवेदनकर्ता द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

अतः कृपया प्रकरण में औपचारिक स्थीकृति जारी करने का अनुरोध है।

संलग्न:- संलग्नक 1 से 30 तक

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/वं. स.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध (ए)/115- 852/ 165

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।
2. वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्रीय संचालक (हाथी रिजर्व) सरगुजा, अंबिकापुर छत्तीसगढ़।

रायपुर, दिनांक 19/01/2024

वन मंडलाधिकारी, सूरजपुर वन मंडल, सूरजपुर वन मंडल, छत्तीसगढ़।
उप निदेशक (हाथी रिजर्व) सरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के नवीन गाईड लाईन के चेटर-4 पैरा
12 के अनुसार आवेदक के व्यय पर सीमांकन की शर्त पर कार्य प्रारंभ करने की अनुमति इस शर्त पर प्रदान की
जाती है कि आवेदक संरक्षण द्वारा प्रथम चरण की स्वीकृति दिनांक 19.12.2023 में राज्य शासन द्वारा अधिरोपित
समस्त 1 से 30 शर्तों का पालन किया जायेगा। यह अनुमति एक वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगी। प्रकरण में
किसी भी वृक्ष का विदोहन नहीं किया जायेगा।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर।


अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
छत्तीसगढ़